1. मागीलाल पिता कजोड जाति ...
2. जमनालाल पिता कजोड जी जाति धाकड नि0 सामरियाकला
3. श्रीमती लालीबाई पत्नी कजोडजी जाति धाकड निवासी सामरियाकला
4. बंशीलाल पिता कजोडजी धाकड नि0 सामरियाकला तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता सालगजी धाकड नि0 सामरियाकला तह0 बेगूँ
2. पनालाल पिता नोलाजी धाकड नि0 सामरियाकला तह0 बेगूँ
3. सूरजमल पिता नोला जी धाकड निवासी सामरियाकला तह0बेगूँ
4. श्रीमती मोतीयाबाई पत्नी कजोड जी धाकड नि0 सामरियाकला
5. बालूलाल पिता सालगजीधाकड निवासी सामरियाकला तह0बेगूँ
6. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ

विपक्षीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़

उपस्थित :: श्री के0सी0शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक 20.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम सामरिया पटवार मण्डल सामरियाकला तह0 बेगूँ में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात दर्ज रेकार्ड है जिसका विवरण्या निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
109	361	0.2750
	362	0.0890
	381	0.1860
	382	0.4210
	किता–4	0.9710 है0

यह कि ग्राम सामरियाकला में खाता संख्या 113 में निम्न आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
113	245	0.2910
	246	0.4370
	250	0.2430
	251	0.1460
	356	0.0970
	357	0.0730
	384	0.1860
	465/251	0.0410
	किता–8	[illegible] है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:46:42 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण सं[illegible] लगायत 5 तक पडोसी है तथा प्रतिवर्ष आराजीयात की हंकाई [illegible] करते समय [illegible] घास आदि काटते [illegible] आपस में विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी[illegible] के मध्य प्रतिवर्ष हो[illegible] सीमा विवाद को समाप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 3.06.2019 को आपसी सहमति से तहसील बेगूँ में चलकर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु कहा तो विपक्षीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया एवं कहा कि तुम्हे

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आवश्यकता हो तो अपनपी आराजीयात की पत्थरगढी करवा लो इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रार्थीगण को प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। भूमिधारी जी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरियाकला के आराजी रहन होने से शाखा प्रबंधक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। ग्राम सामरियाकला तहसील बेगूं में स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

अतः न्ययालय श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सामरियाकला पटवार मण्डल सामरियाकला तह0 बेगूं के खाता संख्या 109 व 113 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये, पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात के खातेदार है जिन्हें अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा सामरियाकला की खाता संख्या 109 कि आराजी संख्या 361, 362, 381, 388 कुल किता–4 रकबा 0.9710 हैक्टर तथा खाता संख्या 113 की आराजी संख्या 245, 246, 250, 251, 356, 357, 384, 463/1251 किता–8 रकबा 1.5140 हैक्टर भूमि में मौके पर फसल नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूं को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना में पत्र तहसीलदार, बेगूं को जारी होकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में तलब की जावे।

आदेश आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:46:42 IST
Reason: SelfAttested